INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

विक्रय-पत्र

हम कि १- श्रीमती किशन देई पत्नि श्री कनछ ठेकेदार, २- मास्टर बलबीर आयु १५ वर्ष अवयस्क पुत्र, ३- कु० मंजू आयु १२ वर्ष अवयस्क पुत्री, स्व० श्री जगदीश निवासीगण ७४ सालावाला परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून, द्वारा अपनी दादी [illegible] व प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती किशन देई विक्रेता सं० १, ४- श्रीमती गंगा देवी पत्नि श्री श्यामलचन्द निवासी आनन्द पर्वत, देहली, ५- श्रीमती मीरा देवी धर्मपत्नि श्री अरुण कुमार निवासनी १०४०६ पीर जी की बगीची, देहली, विक्रेता सं० ४ व ५ द्वारा अपने मुख्तारआम श्रीमती किशन देई पत्नि श्री कनछ ठेकेदार, निवासी ७४ सालावाला परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून (पंजीकृत मुख्तारनामा दिनांक [illegible] २४-११-८३), ६- कु० राधा पुत्री स्व० श्री जगदीश, ७- शंकर, ८- विजय कुमार पुत्रगण श्री कनछ ठेकेदार, ९- रमेश कुमार पुत्र स्व० श्री जगदीश, निवासीगण ७४ सालावाला परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून के हैं।- ---- विक्रेतागण.

नि० ३७ ([illegible] देई) राधा Shankar Vijay Kumar रमेश

७५० रु. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

विदित हो कि सम्पत्ति संख्या ७४ सालावाला परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून के सम्पत्ति स्वामी श्री कनक ठेकेदार थे उनके देहान्त के पश्चात् (जिनका देहान्त दि० २-९-१९८१ को हो चुका है) हम विक्रेतागणों को उत्तराधिकार मे प्राप्त हुयी है। -

और जो कि हमने उपरोक्त सम्पत्ति संख्या ७४ सालावाला देहरादून का भाग, जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रयपत्र के अन्त में दिया गया है, को विक्रय करने का अनुबन्ध, अनुबन्ध-पत्र दिनांक ३-६-८५ श्री चन्द्रमणी शर्मा पुत्र श्री बीरबल शर्मा निवासी ग्राम बड़कली जिला मुजफ्फरनगर, हाल पता ३।१ डोभालवाला, देहरादून के साथ मुवलिग २०,००० रुपये (बीस हजार रुपये) में किया हुआ है। अत: इसी प्रतिज्ञा पूर्ति में यह विक्रयपत्र सम्पन्न किया जाता है। -

और जो कि विक्रेता सं० २ व ३ अवयस्क है उनके भाग सम्पत्ति को विक्रय करने की आवश्यक अनुमति माननीय

राधा Shalker Vijay

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

जिला जज महोदय देहरादून द्वारा प्रकीर्ण संख्या १४१ वर्ष १९८५ दिनांक १८-१०-८५ को इस प्रतिबन्ध के साथ प्राप्त हुयी है कि अव्यस्कगण के हिस्से का रुपया बैंक मे जमा करके उसकी सूचना माननीय जिला जज महोदय देहरादून के न्यायालय मे एवम् क्रेता महोदय को दी जावे ताकि अव्यस्कगण बालिग होने पर अपने हिस्से का रुपया प्राप्त कर सके। -

और जो कि विक्रेता सं० १ श्रीमती किशन देई जो कि नाबालिगान की माता एवम् प्राकृतिक संरक्षिका न्यायालय द्वारा नियुक्त है, के द्वारा नाबालिग के हिस्से का १६०० रुपये (८००/- + ८००) प्रत्येक अल्पव्यस्क का सात वर्ष की अवधि के लिये बैंक मे जमा करके उसकी सूचना न्यायालय एवम् क्रेता महोदय को दे देंगी। इसी शर्त के अनुसार यह विक्रयपत्र सम्पन्न किया जा रहा है।-

और जो कि निम्नलिखित भूमि इस समय तक हर प्रकार के भार- बन्धन, रहन, विक्रय, हवा, कुर्की, जमानत, विवादों आदि

Shankar Vijay 2/1/21

2/6/21

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५० रु. **FIFTY RUPEES** 50 RS.

से मुक्त व रहित है। अत: हमने अपने स्थिर मन, बुध्दि व इन्द्रियों की स्वच्छ व स्वस्थ दशा में बिना किसी के सिखलायें बहकाये व बिना किसी अनुचित दबाव के वरन् अपनी स्वतंत्र इच्छा से निम्नलिखित भूमि बदस्त श्री चन्द्रमणी शर्मा पुत्र श्री बीरबल शर्मा निवासी ग्राम बड़कली जिला मुजफ्फरनगर, हाल पता ३।१ डोभालवाला, देहरादून को मुबलिग २०,००० रुपये (बीस हजार रुपये) में विक्रय करदी है। विक्रय मूल्य में से मुबलिग १५०० रुपये हम विक्रेतागण ने क्रेता महोदय से पहले ही बतौर बयाना नकद प्राप्त कर लिये हैं शेष कीमत १८,५०० रुपये (अठारह हजार पांच सौ रुपयें) बजरिये चैक संख्या जे ५६६३०३ न्यू बैंक आफ इंडिया देहरादून दि० २०-१२-१९८५ समक्ष उपनिबन्धक महोदय देहरादून प्राप्त कर लिये है। इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया है लेना कुछ भी शेष नही रहा है। -

कब्ज़ा मैंने निम्नलिखित भूमि से अपना हटाकर व उठाकर क्रेता महोदय का मौके पर करा दिया है। जो जो अधिकार हम विक्रेतागण को निम्नलिखित भूमि मे वास्ते मालिकाना, रास्ता, नाली, पानी

शारदा

आदि की बाबत प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त होने सम्भव हों, उन सबके मालिक आज से क्रेता महोदय हो गये हैं। क्रेता महोदय को अधिकार प्राप्त है कि वह विक्रीत भूमि से जिस प्रकार चाहे लाभ उठावे, अपने उपयोग व उपभोग मे लावे, निर्माण बनावे, आवासीय प्रयोग मे लावे, किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करे इसमें हमें अथवा हमारे किसी उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नही होगी। -

यदि भविष्य में हमारा अन्य कोई उत्तराधिकारी उत्पन्न होकर विक्रीत भूमि की बाबत कोई दावेदारी करे या अपना अधिकार बतावे तो ऐसी दावेदारी इस विक्रयपत्र के सम्मुख निर्बल व निराधार होगी। यदि हमारे स्वामित्व अधिकार दोष के कारण विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग क्रेता महोदय के कब्जे व स्वामित्व से निकल जाये तो ऐसी दशा में क्रेता महोदय को अधिकार होगा कि वह निकले हुये भाग भूमि की कीमत हमसे व हमारी अन्य सम्पत्ति से प्राप्त करले। -

क्रेता महोदय को अधिकार प्राप्त है कि वह विक्रीत भूमि से स्वामित्व के आलेखों से हमारा नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर भूस्वामी दर्ज करा ले। यदि क्रेता महोदय को अपने स्वामित्व अधिकार की पुष्टि के लिये हमसे अन्य लेख लिखाने अथवा हमारे बयान देने की आवश्यकता होगी तो हम ऐसी कार्यवाही क्रेता महोदय के व्यय पर करने के लिये तैयार रहेंगे। -

2|६८|

विक्रीत भूमि की सर्किल रेट के अनुसार मालियत १८,८०० रुपये होती है परन्तु तैशुदा कीमत २०,००० रुपये है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। -

विवरण विक्रीत भू खंड

सम्पत्ति संख्या ७४ सालावाला परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून का भाग खुली भूमि जिसका क्षेत्रफल १८८.१६ वर्ग मीटर अर्थात २०२५ वर्ग फीट है जो संलग्न मानचित्र मे लाल रंग की रेखाओं से घिरी दिखलाई गयी है जो निम्न सीमाओं से घिरी है :-

उत्तर में- सम्पत्ति श्री वाई० पी० शर्मा, सीमा मे पैमायश ४५ फीट

दक्षिण में- सम्पत्ति विक्रेतागण, सीमा मे पैमायश ४५ फीट.

पूरब में - १६ फीट चौड़ी सड़क पक्की, सीमा मे पैमायश ४५ फीट.

पश्चिम में- सम्पत्ति विक्रेतागण, सीमा मे पैमायश ४५ फीट.

विशेष विवरण- स्टाम्प शुल्क- २३०० रुपये आवास एवं विकास शुल्क सहित।

१- किस्म दस्तावेज- विक्रयपत्र, विक्रय मूल्य २०,००० रुपये
सर्किल रेट के अनुसार मालियत १८,८०० रुपये.

२- विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल- १८८.१६ वर्ग मीटर.

३- विक्रेता ने उपरोक्त भू खंड को विक्रय करने का आवश्यक नोटिस अं० धारा २६ सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण देहरादून को दिनांक ४-७-८५ क्रमांक ४१५३। २६।८५ प्रस्तुत किया था जिसकी दो माह की अवधि व्यतीत होने पर यह विक्रयपत्र सम्पन्न किया गया है। -

२।९।१९८५

1 जिल्द 2400 के पृष्ठ 346/350 ... 1968

का.पुस्तक 1 जिल्द 2495 के पृष्ठ 35/40

... में ... रजिस्ट्री की गई

24/1/1985

SITE PLAN SHOWING PART OF PROPERTY NO. 7A, SALAWALA DEHRA DUN. MARKED A.B.C.D. & SHOWN IN RED LINES

SOLD BY - KISHAN DEVI & OTHERS

SOLD TO :- SH. CHANDER MANI SHARMA

SCALE :- 1"=20'

AREA = 2025 SQFT. OR = 188.19 SQM.